न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 19/2022

अपीलार्थी

श्रीमती जरावी देवी पत्नी श्री मीठालाल, जाति– गरोडा, निवासी–आमलारी, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

(1) राजस्थान राज्य जरिये पटवारी हल्का, मेरमांडवाडा, तहसील व जिला– सिरोही

(2) उप तहसीलदार, कालन्द्री, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल माली, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 14 सितम्बर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 12/2022 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 22.4.2022 बाबत अपीलार्थी को ग्राम मेरमाण्डवाडा, पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 2784 रकबा 0.81 हेक्टेयर किस्म नाला राजकीय भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थीगण की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा व बाड करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी, मेरमाण्डवाडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री में प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नोटिस जारी किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही कर हल्का पटवारी, मेरमाण्डवाडा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.4.2022 को पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि का अतिक्रमी मानकर बेदखल करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के अधिवक्ता को हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को दिनांक 19.4.2022 को नोटिस प्रेषित कर सुनवाई हेतु दिनांक 22.4.2022 नियत की गई। अपीलार्थी को नोटिस दिनांक 21.4.2022 को प्राप्त हुआ, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 22.4.2022 को ही अपीलाधीन निर्णय/आदेश पारित कर दिया। यह अपीलार्थी की कृषि भूमि ग्राम मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 2781, 2782, 2783 व अन्य खसरान् में स्थित है जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2078 में दर्ज है जिसको अपीलार्थी ने अलग अलग पंजीकृत दस्तावेजो से खरीद की व वक्त खरीद कब्जा पुख्ता हेतु चारों ओर बाडबंदी भी की हुई थी जिसके अनुसार ही कब्जा अपीलार्थी को सुपर्द किया गया तथा बाद खरीद से उसी खरीदशुदा भूमि पर लगातार बतौर खातेदार अपीलार्थी

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:43:13 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर काबिज काश्त है। अपीलार्थी ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट में अपीलार्थी की खरीदशुदा कृषि भूमि के पास ही स्थित खसरा संख्या 2784 की भूमि अतिक्रमण करना बताया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा कब्जा पुख्ता हेतु अपनी खरीदशुदा भूमि की दो बार पैमाईश भी करवाई। अपीलार्थी के पास खरीदशुदा भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई अतिक्रमित भूमि नही है। खसरा संख्या 2784 की भूमि किस्म गै.मु. नाला दर्ज है, परन्तु मौके पर कोई नाला नही है। भूमि कृषि भूमि के रुप में अवस्थित है जिस पर अपीलार्थी का किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। अपीलार्थी अपने खरीदशुदा भूमि पर वर्षो से बाडबंदी की हुई कृषि भूमि पर ही काबिज काश्तकार है व बाडबंदी पुरानी की हुई है जिसके साथ अपीलार्थी द्वारा कोई छेडछाड नही की गई है। हल्का पटवारी ने अपीलार्थी की अनुपस्थित में मनमाने रुप से रिपोर्ट तैयार की है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.4.2022 को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, मेरमाण्डवाडा द्वारा संवत 2078 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 2784 रकबा 0.81 हेक्टेयर किस्म नाला भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा व बाड करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी को नोटिस की तामिल होने के बाद भी सुनवाई तिथि 22.4.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही होने से अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बाद जांच दिनांक 22.4.2022 को विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी ने किस्म नाला राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, मेरमाण्डवाडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2078 में ग्राम मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 2784 रकबा 0.81 हेक्टेयर किस्म नाला भूमि पर अतिक्रमण कर बाड व कब्जा करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, लेकिन अपीलार्थी स्वयं को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी सुनवाई दिनांक 22.4.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी उपस्थित नही हुई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व भू अभिलेख में ग्राम मेरमाण्डवाडा, पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 2784 रकबा 0.81 हेक्टेयर भूमि की किस्म नाला राजकीय बिलानाम भूमि है एवं अपीलार्थी ने राजकीय बिलानाम नाला भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14 सितम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

(भास्कर विश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:43:13 IST
Reason: SelfAttested